



(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 शम्भू शरण सिंह मय हमराह आरक्षी संतोष सिंह द्वारा अभियुक्त दीपू पुत्र ओमप्रकाश उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गुरौला थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट को 20 पाउच देशी शराब मस्तीहू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजहर जमाल मय हमराह मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र यादव, रि0कूट आरक्षी प्रशान्त पाठक, रि0कूट आरक्षी अमरजीत मौर्य द्वारा मु0नं0 100/2017 मु0अ0स0 37/2016 धारा 323/506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त 1.अंकित सिंह पुत्र लाला सिंह 2.श्याम सिंह पुत्र पहलवान सिंह निवासीगण ग्राम भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा उनके हमराहीगण द्वारा अभियुक्त कुलदीप वर्मा पुत्र स्व0 मेवालाल निवासी धोबीगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
- 2.आरक्षी शुभम मिश्रा
- 3.आरक्षी शाकिर अली

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 शम्भू शरण सिंह मय हमराह आरक्षी शरद कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त गिरधारी पुत्र भुल्लू रैदास उम्र 55 वर्ष निवासी डाडी चमरौडी थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट को 22 पाउच देशी शराब मस्तीहू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

(i). उ0नि0 श्री हरि सिंह मय हमराह रि0आरक्षी अजय यादव व रि0आरक्षी शिवचरन थाना मानिकपुर द्वारा मु0नं0 1363/2020 अ0स0 131/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त महाबली पुत्र ननका प्रजापति नि0 रानीपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

- (ii). उ०नि० श्री अजहर जमाल मय हमराह मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र यादव, रि०कूट आरक्षी प्रशान्त पाठक, रि०कूट आरक्षी अमरजीत मौर्य थाना सरधुवा द्वारा मु०नं० 100/2017 मु०अ०सं० 37/2016 धारा 323/506 भादवि० के वारंटी अभियुक्त 1.अंकित सिंह पुत्र लाला सिंह 2.श्याम सिंह पुत्र पहलवान सिंह निवासीगण ग्राम भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
- (iii). उ०नि० श्री विवेक कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी शुभम शर्मा थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु०नं० 36/2016 धारा 452,323,504,506 भादवि० के वारंटी अभियुक्त अजय पुत्र चुनुवा निवासी बालापुर खालसा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
- (iv). उ०नि० श्री अमरेन्द्र सिंह मय हमराह आरक्षी राहुल देव, रि०आ० किशन सिंह, रि०आ० दीपक चौहान थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु०नं० 303/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त भागीरथी वर्मा पुत्र शिवचरन वर्मा निवासी बरवारा उम्र करीब 40 वर्ष थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
- (v). उ०नि० श्री अंशुल कुमार मय हमराह आरक्षी संजीव सोनी थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु०नं० 225/2016 धारा 452,323,504,506 भादवि० के वारंटी अभियुक्त गणेश पुत्र गुलजार निवासी ड्योढ़ी टोला तरौहा उम्र करीब 40 वर्ष थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
- (vi). उ०नि० श्री मुकेश कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी प्रताप सिंह थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु०नं० 3761/2016 मु०अ०सं० 176/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त लवलेश उर्फ मिन्टू प्रजापति पुत्र रामभरोसे निवासी बाजीगर का पुरवा मजरा कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।